Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषक कल्याण योजनाएँ और राज्य की राजनीति : मध्यप्रदेश के संदर्भ में

ईश्वरलाल व्यास*

* शोधार्थी, म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कृषि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का आधार स्तंभ है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राज्य में संचालित कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी वास्तविक पहुँच तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन मुख्यत: विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े मालवांचल क्षेत्र के मन्दसौर एवं रतलाम जिलों के चार विधानसभा क्षेत्रों के 20 ग्रामों से चयनित 200 कृषक परिवारों के साक्षात्कार, समूह चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से संकलित किए गए हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि राज्य में कृषि योजनाओं की सामान्य जानकारी व्यापक है, किंतु पात्रता, प्रक्रियाओं एवं शर्तों की पूर्ण समझ का अभाव क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित योजनाएँ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सिद्ध हुई हैं, जबकि फसल बीमा, मृदा परीक्षण एवं आदान आपूर्ति संबंधी योजनाओं में प्रशासनिक जटिलताएँ और समयबद्धता की समस्याएँ पाई गईं। सामाजिक दृष्टि से अधिकांश कृषक छोटे एवं सीमांत वर्ग से संबंधित हैं, जिनकी आय अस्थिर एवं सीमित है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन यह दर्शाता है कि कृषि योजनाएँ चुनावी विमर्श का प्रमुख विषय बन चुकी हैं तथा किसानों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ऋण माफी, समर्थन मूल्य एवं आय सहायता जैसी नीतियाँ राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साधन के रूप में भी देखी जाती हैं। समग्र रूप से कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाएँ मध्यप्रदेश में आर्थिक सुधार के साथ-साथ सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरती हैं। तथापि, इनके दीर्घकालिक एवं समावेशी प्रभाव के लिए प्रशासनिक सरलीकरण, पारदर्शिता, क्षेत्रीय अनुकूलन तथा कृषक सहभागिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

शब्द कुंजी–कृषि नीति, कृषक कल्याण, मध्यप्रदेश, राजनीतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, किसान राजनीति।

प्रस्तावना – कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, समाज तथा राजनीति का आधार स्तंभ है। राज्य की विशाल ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा उससे संबद्ध गतिविधियोंजैसे पशुपालन, कृषि श्रम, वनोपज संग्रह, कृषि प्रसंस्करण तथा ग्रामीण कुटीर उद्योग पर निर्भर है। इस कारण कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, ग्रामीण संस्कृति और राजनीतिक चेतना का मूल आधार बन जाती है। कृषि क्षेत्र में होने वाले किसी भी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रभाव राज्य की आय-वितरण प्रणाली, रोजगार संरचना, ग्रामीण-शहरी संबंधों और राजनीतिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

मध्य प्रदेश में इन योजनाओं का महत्व विशेष रूप से इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि किसान राज्य की राजनीति में एक निर्णायक मतदाता समूह के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कृषि संबंधी नीतियाँ अब केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और सत्ता वैधता के प्रमुख साधन बन चुकी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी, नकद सहायता, फसल बीमा, सिंचाई विस्तार और कृषि निवेश जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श के केंद्र में रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भावांतर भुगतान योजना और विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों ने राज्य की कृषि नीति को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। इन योजनाओं ने किसानों को तात्कालिक आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ कृषि को अधिक संगठित और व्यावसायिक बनाने का प्रयास किया है। किंतु इनके क्रियान्वयन में प्रशासनिक जटिलताएँ, तकनीकी बाधाएँ, भूमि अभिलेख संबंधी त्रुटियाँ तथा क्षेत्रीय असमानताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक अंचलोंमालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रोंमें कृषि संरचना, संसाधन उपलब्धता और योजनाओं की प्रभावशीलता में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। सिंचित और बाजार-सुलभ क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि सूखा-प्रवण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इनका लाभ सीमित रह जाता है। यह असमानता राज्य के भीतर विकास के द्वैत स्वरूप को उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन ने कृषि जोखिम को और अधिक जटिल बना दिया है। अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा, तापमान वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति ने किसानों की आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाया है। परंपरागत नीतिगत ढाँचे इन नई चुनौतियों के समक्ष अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। अत: कृषि योजनाओं में जलवायु-अनुकूल तकनीकों, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और संसाधन प्रबंधन को समाहित करना अनिवार्य हो गया है। डिजिटलीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है,

किंतु डिजिटल अवसंरचना की असमानता और साक्षरता की कमी ने ग्रामीण समाज में नई प्रकार की वंचनाएँ उत्पन्न की हैं। तकनीकी प्रक्रियाओं पर अत्यधिक निर्भरता कई बार सबसे कमजोर वर्गों को योजनाओं से दूर कर देती है, जिससे समावेशी विकास का लक्ष्य प्रभावित होता है।इस प्रकार मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता के उपकरण हैं। अत: इसी पृष्ठभूमि में यह अध्ययन कृषि एवं कृषक कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयनरू मध्य प्रदेश की राजनीति के विशेष सन्दर्भ में किया गया है स

अध्ययन के उद्देश्य:

1. क्षेत्र में कृषि एवं कृषकों की स्थिति एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को समझना।
2. क्षेत्र में कृषि आधारित मुद्दों पर केन्द्रित राजनीति को समझना एवं इसके निर्वाचकीय राजनीति पर प्रभाव को समझना।
3. क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा चलाये गये कृषक कल्याण आधारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को समझना।
4. क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा चलाये गये कृषक कल्याण आधारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावों का आकलन करना।
5. क्षेत्र में कृषि जनित राजनीति की भविष्य की संभावनाओं को समझना।
6. किसान के उत्पादन का उत्पादन लागत से अधिक मूल्य कैसे मिल सके ऐसी स्थिति का जानना एवं किसान योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन मुख्यत: विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। शोध प्रविधि के अंतर्गत तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत निर्देशिका समूह चर्चा, अवलोकन एवं चयनित कृषकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई है। साक्षात्कार के दौरान कृषकों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, कृषि से संबंधित समस्याएँ, आय के स्रोत, ऋण की स्थिति तथा शासकीय योजनाओं के प्रति उनकी जानकारी और अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अवलोकन एवं क्षेत्रीय अध्ययन विधि का भी प्रयोग किया गया है, जिससे अध्ययन क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को निकट से समझा जा सके।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, पत्रदपत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, अधिसूचनाओं तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित अभिलेखों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से अध्ययन विषय की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया गया है तथा प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के समन्वय द्वारा अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

निदर्शन का आकार – इस अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र में कुल 15 जिले हैं। इनमें से मन्दसौर एवं रतलाम जिलों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। मन्दसौर जिले से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इसी प्रकार रतलाम जिले से रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एवं आलोट (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। प्रत्येक चयनित विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5–5 ग्रामों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है तथा प्रत्येक चयनित ग्राम से 10–10 कृषक परिवारों का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया है। इस प्रकार दो जिलों से चार विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 20 ग्राम 4×5 चयनित किए गए। आगे 20 ग्रामों से 200 (20×10) कृषक परिवारों का चयन देव निदर्शन पद्धति के आधार पर अध्ययन हेतु किया गया। अत: प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिदर्श आकार 200 कृषक परिवार निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश का कृषि परिदृश्य संसाधन, संरचना एवं उत्पादन प्रवृत्तियाँ– मध्य प्रदेश, जिसे 'भारत का हृदय प्रदेश' कहा जाता है, भौगोलिक एवं प्राकृतिक विविधताओं से समृद्ध एक प्रमुख कृषि–प्रधान राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, पठारी स्वरूप, नदी तंत्र, जलवायु तथा मृदा संरचना कृषि के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा जैसी नदियाँ सिंचाई एवं कृषि उत्पादन का आधार प्रदान करती हैं, यद्यपि कृषि आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उच्च योगदान कृषि के महत्व को दर्शाता है। सिंचाई विस्तार, विद्युत उपलब्धता, उन्नत बीज, सरकारी खरीद नीति तथा कृषि अवसंरचना में सुधार के कारण विगत वर्षों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भूमि जोत संरचना के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि राज्य में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या सर्वाधिक है, किंतु उनके पास अपेक्षाकृत कम भूमि उपलब्ध है, जबकि मध्यम एवं बड़े किसानों के पास भूमि का बड़ा भाग संकेन्द्रित है। यह असमानता कृषि निवेश एवं आय–वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार फसल संरचना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गेहूं, धान और मक्का जैसी खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। दलहन फसलों में अस्थिरता देखी गई है, जबकि तिलहन विशेषकर सोयाबीन एवं सरसों का विस्तार स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सब्जी, फल, मसाला, औषधीय एवं पुष्प फसलों में वृद्धि यह दर्शाती है कि राज्य की कृषि अब विविधीकृत और बाजारोन्मुख दिशा में आगे बढ़ रही है। अत: समग्र रूप से मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों एवं नीतिगत समर्थन के कारण सशक्त है, किंतु जलवायु जोखिम, भूमि असमानता और छोटे किसानों की समस्याएँ सतत कृषि विकास की प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषक कल्याण सम्बन्धी योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन एवं स्थिति – कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित योजनाएँ मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था में न केवल आर्थिक सुधार का माध्यम हैं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। राज्य की कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। योजनाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, जोखिम कम करने तथा कृषकों की आय को स्थिर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में कृषि हेतु कृषक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना तथा परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि नीति-निर्माण में अब केवल उत्पादन वृद्धि ही नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सतत कृषि को भी महत्व दिया जा रहा है। विशेष रूप से दलहन, तिलहन, पोषक अनाज और जैविक खेती पर बढ़ता जोर कृषि विविधीकरण और पोषण-संतुलन की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषक कल्याण हेतु कुल रू24,420.48 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें कृषि विद्युत सहायता, फसल उपार्जन, सिंचाई परियोजनाएँ तथा बीज एवं आदान सब्सिडी पर प्रमुख रूप से व्यय किया गया, जिससे किसानों की उत्पादन लागत घटाने और आय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायता मिली राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन वर्ष 2007-08 से लागू है और वर्ष 2015-16 से इसे केंद्र-राज्य 60: 40 के अनुपात में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत धान, गेहूँ, दलहन, मोटा अनाज, तिलहन, गन्ना एवं कपास जैसी प्रमुख फसलों पर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,00,000 मृदा नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध 9,19,108 नमूनों का परीक्षण किया गया तथा 5,85,288 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को नि:शुल्क वितरित किए गए, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग और दीर्घकालीन मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिला कृषि विपणन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से NABARD एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से राज्य में अब तक 623 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन किया जा चुका है, जिनमें से 123 FPOs को इक्विटी ग्रांट प्रदान की गई, जिससे किसानों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि हुई है बजट एवं व्यय विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश कृषि योजनाओं में बजट उपयोग का प्रतिशत उच्च रहा है, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, विशेष रूप से ऊर्जा, कृषि, राजस्व एवं खाद्य विभागों से संबंधित योजनाओं में

राजनीतिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाएँ राज्य की राजनीति का एक प्रमुख घटक बन चुकी हैं। बजटीय आवंटन, नई योजनाओं की घोषणा, ऋण राहत, बीमा और समर्थन मूल्य जैसी नीतियाँ चुनावी विमर्श और किसान-राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि नीतियाँ केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं।अध्ययन से स्पष्ट है कि योजनाओं की दीर्घकालिक सफलता के लिए केवल वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। कृषि विस्तार सेवाओं को सशक्त करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण, किसानों की भागीदारी बढ़ाना तथा प्रशिक्षण और जागरूकता पर निरंतर बल देना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट और भूमि की घटती उर्वरता जैसी चुनौतियों को देखते हुए समन्वित, टिकाऊ और किसान-केंद्रित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। अत: कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाओं ने मध्य प्रदेश में कृषि विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इनके प्रभाव को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए क्रियान्वयन में सुधार, संस्थागत समन्वय और जमीनी स्तर पर किसानों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है।

कृषकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि : साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या – कृषकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ज्ञात करने हेतु कृषकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया जिसके अंतर्गत कृषक उत्तरदाताओं की लैंगिक संरचना के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 66 प्रतिशत पुरुष तथा 34प्रतिशत महिला कृषक हैं। यह अनुपात दर्शाता है कि कृषि निर्णयों, भूमि स्वामित्व और औपचारिक पहचान में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। यद्यपि महिलाएँ कृषि कार्यों में निरंतर श्रम करती हैं, फिर भी उनकी भूमिका सहायक के रूप में ही अधिक दर्ज होती है। यह स्थिति कृषि में लैंगिक असमानता की ओर संकेत करती है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी को अभी भी औपचारिक मान्यता नहीं मिल पा रही है।

कृषक उत्तरदाताओं की आयु संरचना से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उभरकर आता है कि 72 प्रतिशत से अधिक कृषक 46 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के हैं, जिनमें 37प्रतिशत कृषक 56 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसके विपरीत, 26-35 वर्ष आयु वर्ग के केवल 6प्रतिशत कृषक ही पाए गए। यह स्पष्ट संकेत है कि युवा वर्ग कृषि को एक आकर्षक और सुरक्षित आजीविका के रूप में नहीं देख रहा है। कृषि से जुड़ी अनिश्चित आय, जोखिम, परिश्रम की अधिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी युवाओं को अन्य रोजगार विकल्पों की ओर प्रेरित कर रही है, जो दीर्घकाल में कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है।

कृषक उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि 88.5 प्रतिशत कृषक विवाहित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश कृषक पारिवारिक उत्तरदायित्वों के साथ कृषि कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकताएँ और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं। शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि लगभग 71प्रतिशत कृषक निरक्षर, केवल साक्षर अथवा प्राथमिक शिक्षित हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त कृषकों का अनुपात मात्र 4.5 प्रतिशत है। यह स्थिति शासकीय योजनाओं की जानकारी, तकनीकी नवाचारों की समझ और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में एक बड़ी बाधा बनती है।

कृषक उत्तरदाताओं की सामाजिक वर्ग संरचना से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि 61.5 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। यह दर्शाता है कि कृषि कार्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की भागीदारी सर्वाधिक है। इसी क्रम में आर्थिक स्थिति का संकेत राशन कार्ड के आँकड़ों से भी मिलता है, जहाँ 55प्रतिशत कृषक बीपीएल तथा 10.5 प्रतिशत अंत्योदय श्रेणी में पाए गए। यह स्थिति यह दर्शाती है कि बड़ी संख्या में कृषक परिवार आज भी शासकीय सहायता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं।

कृषक उत्तरदाताओं की परिवार संरचना के संदर्भ में 58.5 प्रतिशत कृषक एकल परिवारों में निवास करते हैं। यह प्रवृत्ति भूमि विभाजन, आर्थिक दबाव और योजनाओं के लाभ की व्यक्तिगत पात्रता से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। आवासीय स्थिति में सुधार अवश्य दिखाई देता है, क्योंकि 61प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में निवास करते हैं, जो ग्रामीण आवास योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। इसी प्रकार, 73प्रतिशत परिवारों के घर में नल कनेक्शन, 100 प्रतिशत घरों में शौचालय, तथा 91प्रतिशत परिवारों द्वारा एलपीजी गैस का उपयोग ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की ओर संकेत करता है।

कृषक उत्तरदाताओं की आर्थिक संरचना के विश्लेषण से यह स्पष्ट

होता है कि 71प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, किंतु कृषि आय की अनिश्चितता के कारण 61.5 प्रतिशत कृषक परिवार कृषि के साथ अन्य व्यवसायों में भी संलग्न हैं। वार्षिक आय के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि 44.5 प्रतिशत कृषकों की आय 50,001 से 75,000 रुपये के मध्य है, जबकि केवल 8.5 प्रतिशत कृषकों की आय 1,00,000 रुपये से अधिक है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कृषि आधारित आय सीमित और अस्थिर बनी हुई है।

कृषक उत्तरदाताओं की भूमि स्वामित्व की संरचना अध्ययन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरती है। कुल उत्तरदाताओं में से 71.5 प्रतिशत कृषक सीमांत एवं छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ तक भूमि है। सिंचाई सुविधा केवल 57.5 प्रतिशत कृषकों को उपलब्ध है, जबकि 42.5 प्रतिशत कृषक आज भी वर्षा पर निर्भर हैं। यह स्थिति फसल उत्पादकता, विविधीकरण और आय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यंत्रीकरण की स्थिति भी सीमित है, जहाँ केवल 15.5 प्रतिशत कृषकों के पास ट्रैक्टर, 9प्रतिशत के पास थ्रेशर तथा मात्र 1प्रतिशत के पास हार्वेस्टर उपलब्ध है। अधिकांश कृषक किराया आधारित सेवाओं पर निर्भर हैं, जो यंत्रीकरण की आवश्यकता और आर्थिक सीमाओं दोनों को दर्शाता है।

कृषक उत्तरदाताओं की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केवल 55.5 प्रतिशत कृषक परिवारों का स्वयं का उत्पादन वर्ष भर के लिए पर्याप्त है, जबकि शेष 44.5 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य आत्मनिर्भरता अभी भी आधे से अधिक कृषक परिवारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ऋणग्रस्तता के विश्लेषण से यह सामने आता है कि 64.3 प्रतिशत कृषक 1 से 2 वर्षों से ऋणग्रस्त हैं, जो यह दर्शाता है कि ऋण अब अस्थायी सहायता न रहकर एक सतत आर्थिक चक्र बन चुका है।

अत: यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुए हैं, किंतु आय वृद्धि, भूमि सुदृढ़ीकरण, सिंचाई विस्तार, तकनीकी पहुँच और ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में अभी व्यापक एवं लक्षित प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है। जब तक छोटे एवं सीमांत कृषकों की संरचनात्मक कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक कृषि का सतत, समावेशी और लाभकारी विकास संभव नहीं हो सकेगा।

कृषि एवं कृषक कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन : साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या – कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी वास्तविक पहुँच तथा कृषकों पर पड़े सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साक्षात्कार, समूह चर्चा एवं प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि योजनाओं की जानकारी का स्तर सामान्यत: उच्च है, किंतु योजनाओं के वास्तविक लाभ, शर्तों की समझ तथा क्रियान्वयन की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर विद्यमान है। अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी सभी कृषकों तक पहुँची है, क्योंकि सर्वेक्षण में सम्मिलित 100 प्रतिशत कृषकों ने किसी न किसी योजना की जानकारी होने की पुष्टि की। यह स्थिति योजनाओं के प्रचार–प्रसार की व्यापकता को दर्शाती है। तथापि, जानकारी के स्रोतों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औपचारिक सरकारी माध्यमों की तुलना में पंचायत, सरपंच, ग्राम सभा तथा सोशल मीडिया जैसे स्थानीय एवं अनौपचारिक स्रोत अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कृषि विभाग एवं विस्तार अधिकारियों की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित होती जा रही है।

कृषि से सम्बंदित कल्याण करी योजनाओं की जानकारी के सन्दर्भ में 35 प्रतिशत कृषक छह से अधिक योजनाओं से परिचित हैं, जबकि 30 प्रतिशत कृषक चार से छह योजनाओं की जानकारी रखते हैं। यह दर्शाता है कि कृषकों के बीच योजनाओं के प्रति सामान्य जागरूकता संतोषजनक है। किंतु जब योजनाओं की पात्रता, शर्तों एवं चयन प्रक्रिया की बात आती है, तो स्थिति कमजोर दिखाई देती है। केवल 8 प्रतिशत कृषक ही योजनाओं की शर्तों की पूर्ण जानकारी रखते हैं, जबकि 79 प्रतिशत कृषक केवल आंशिक जानकारी रखते हैं। यह अंतर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आता है।

बीज एवं उर्वरक से संबंधित योजनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश कृषक संकर (हाइब्रिड) बीजों 77 प्रतिशत का उपयोग कर रहे हैं, जो कृषि में तकनीकी परिवर्तन को दर्शाता है। साथ ही 92.5 प्रतिशत कृषक शासकीय योजनाओं या सहकारी सोसायटी के माध्यम से बीज प्राप्त कर रहे हैं। यह व्यवस्था संस्थागत रूप से सशक्त प्रतीत होती है, किंतु समयबद्धता की समस्या गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 56 प्रतिशत कृषकों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार, उर्वरक के मामले में भी सहकारी सोसायटी एक प्रमुख स्रोत है, किंतु केवल 38.9 प्रतिशत कृषकों को ही समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। मृदा परीक्षण योजना के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि केवल 48 प्रतिशत कृषकों ने मृदा परीक्षण कराया है और इनमें से भी मात्र 18.75 प्रतिशत कृषक ही परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर खाद का उपयोग कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में जागरूकता एवं व्यवहारगत परिवर्तन की कमी है। रिपोर्ट की जटिल भाषा और परामर्श की कमी इसके प्रमुख कारणों के रूप में सामने आए हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना अध्ययन क्षेत्र की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक के रूप में उभरकर सामने आती है। 96 प्रतिशत कृषकों के पास KCC उपलब्ध है और 97.9 प्रतिशत कृषकों ने स्वीकार किया कि इस योजना से साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। यह योजना संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में सफल रही है, किंतु ऋण राशि की अपर्याप्तता, कागजी कार्यवाही की जटिलता तथा ब्याज दर को लेकर असंतोष जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहुँच लगभग सार्वभौमिक पाई गई है, क्योंकि 97.5 प्रतिशत कृषक इस योजना से लाभान्वित हैं। प्राप्त राशि का उपयोग केवल कृषि निवेश में ही नहीं, बल्कि घरेलू आवश्यकताओं और ऋण चुकाने में भी किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना कृषकों के लिए आय समर्थन के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा का भी एक साधन बन चुकी है। राजनीतिक दृष्टि से इसका प्रभाव मिश्रित रहा है, जहाँ 63.5 प्रतिशत कृषक इसे अपने मतदान व्यवहार से किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं।

फसल बीमा योजना के संदर्भ में स्थिति संतुलित दिखाई देती है, क्योंकि लगभग 52 प्रतिशत कृषक ही फसल बीमा करवाते हैं। मुआवजे की अपर्याप्तता और भुगतान में देरी इसके प्रति अविश्वास के प्रमुख कारण हैं। यह दर्शाता है कि जोखिम प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में विश्वास निर्माण की आवश्यकता है।

प्रमुख कृषि योजनाओं की जानकारी और लाभ की स्थिति के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि सभी योजनाएँ समान रूप से प्रभावी नहीं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, किसान सम्मान निधि तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के संदर्भ में जानकारी और लाभ दोनों लगभग सार्वभौमिक पाए गए हैं, जहाँ 97 से 100 प्रतिशत कृषक लाभान्वित हैं। यह दर्शाता है कि जिन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्पष्ट पात्रता और मजबूत क्रियान्वयन तंत्र है, वे किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रामीण भंडार योजना, कृषि यंत्र अनुदान तथा मेड बंधन/नंदन फलोद्यान जैसी योजनाओं में जानकारी और लाभ दोनों ही सीमित पाए गए। विशेष रूप से कृषि प्रबंध शाखा के मामले में केवल 3 प्रतिशत कृषकों को जानकारी थी और कोई भी कृषक लाभान्वित नहीं हुआ, जो योजनाओं के कमजोर प्रचार-प्रसार और जटिल प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और कृषि विज्ञान केंद्र के संदर्भ में एक विरोधाभास दिखाई देता है, जहाँ जानकारी तो व्यापक है, किंतु लाभान्वित कृषकों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया, समयबद्धता और लाभ प्राप्त करने की सरलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं ग्रामीण बीज भंडार और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में यह देखा गया कि मध्यम स्तर की जानकारी के बावजूद लाभान्वित कृषकों का प्रतिशत काफी अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जिन योजनाओं से प्रत्यक्ष और त्वरित लाभ मिलता है, वे किसानों द्वारा अधिक अपनाई जाती हैं।

कृषक कल्याण योजना के विभिन्न आयामों पर कृषकों की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि योजना के प्रति समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है। साहूकारों पर ऋण निर्भरता में कमी के आयाम में 59 प्रतिशत कृषकों की उच्च प्रतिक्रिया योजना की एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाती है। भविष्य में योजना का लाभ लेने की इच्छा 96 प्रतिशत तथा योजना की विश्वसनीयता और संतुष्टि का स्तर 92 प्रतिशत से अधिक होना यह स्पष्ट करता है कि किसानों में योजनाओं के प्रति भरोसा बना हुआ है। किंतु प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों के सहयोग जैसे आयामों में निम्न प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, जो यह संकेत देता है कि क्रियान्वयन स्तर पर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

पूर्व सरकार द्वारा संचालित ऋण माफी योजना के संदर्भ में प्राप्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल 20.5 प्रतिशत कृषकों को ही पूर्व सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी का लाभ प्राप्त हुआ। यह स्थिति योजनाओं की सीमित पहुँच, पात्रता संबंधी जटिलताओं और प्रशासनिक कठिनाइयों को उजागर करती है। इसी प्रकार, चुनावी घोषणापत्र और मतदान व्यवहार के संबंध में 64 प्रतिशत कृषकों का यह मानना है कि कृषक-सम्बंधित वादे उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसान मतदाता वर्ग के लिए चुनावी वादे केवल औपचारिक घोषणाएँ नहीं, बल्कि राजनीतिक निर्णय का एक महत्वपूर्ण आधार हैं।

कृषि योजनाओं और राजनीतिक झुकाव के संबंध में प्राप्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि 47 प्रतिशत कृषकों का मानना है कि योजनाएँ किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति झुकाव बढ़ाती हैं, जबकि 39 प्रतिशत इससे असहमत हैं। यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव सर्वव्यापी नहीं है, किंतु एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिस पर योजनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

किसान राजनीति से जुड़े प्रश्नों पर कृषकों की प्रतिक्रियाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। 84 प्रतिशत कृषकों का यह मानना है कि ऋण माफी जैसी योजनाएँ राजनीतिक समर्थन बढ़ाने का माध्यम हैं, जबकि 86 प्रतिशत कृषक यह मानते हैं कि राजनीतिक दल किसानों को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देखते हैं। 93.5 प्रतिशत कृषकों द्वारा किसान आंदोलनों को सरकार की नीतियों पर प्रभावी मानना और 94 प्रतिशत का यह स्वीकार करना कि आंदोलनों के कारण सरकार को कृषि नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, यह दर्शाता है कि किसान आंदोलन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सशक्त दबाव समूह के रूप में उभर चुके हैं।

किसान संगठनों से जुड़ाव के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल 30.5 प्रतिशत कृषक ही किसी किसान संगठन से जुड़े हैं, किंतु इनमें से लगभग 69 प्रतिशत संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि संगठनात्मक चेतना सीमित कृषकों तक ही केंद्रित है, किंतु जहाँ संगठनात्मक जुड़ाव है, वहाँ राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कृषि योजनाएँ, ऋण माफी और किसान आंदोलन केवल आर्थिक हस्तक्षेप नहीं हैं, बल्कि वे किसान राजनीति, चुनावी व्यवहार और नीति-निर्माण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं। किसान अब स्वयं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली और निर्णायक शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। कृषि योजनाओं की सफलता इसलिए केवल आर्थिक परिणामों से नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों के समन्वित मूल्यांकन से ही समझी जा सकती है। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कृषि योजनाएँ केवल आर्थिक साधन नहीं रहीं, बल्कि वे किसान राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुकी हैं। अधिकांश कृषक यह मानते हैं कि ऋण माफी, खाद-बीज की उपलब्धता और किसान आंदोलनों का सरकार की नीतियों एवं चुनावी व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान स्वयं को अब राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखने लगे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव - मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषक कल्याण योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कृषक छोटे एवं सीमांत वर्ग से हैं, जिनकी आय सीमित और अस्थिर है। योजनाओं की सामान्य जानकारी तो व्यापक है, किंतु पात्रता और प्रक्रियाओं की पूर्ण समझ का अभाव क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित योजनाएँ, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी पाई गईं, जबकि फसल बीमा, बीज एवं उर्वरक आपूर्ति जैसी योजनाओं में प्रशासनिक जटिलताएँ देखी गईं। राजनीतिक दृष्टि से कृषि योजनाएँ चुनावी विमर्श का प्रमुख विषय बन चुकी हैं और

किसानों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। समग्र रूप से योजनाओं ने आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया है, परंतु आय स्थिरीकरण और उत्पादकता वृद्धि हेतु अभी और प्रयास आवश्यक हैं।

नीतिगत सुझाव :

1. मध्य प्रदेश में कृषि योजनाएँ बनाते समय अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। मालवा, सूखा प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति बनाई जाए ताकि हर क्षेत्र के किसान को उसकी जरूरत के अनुसार लाभ मिल सके।
2. सरकार को केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। फसलों के दाम गिरने पर किसानों को सुरक्षा मिले, इसके लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए और भंडारण तथा प्रसंस्करण की सुविधा बढ़ाई जाए।
3. वर्षा पर निर्भर खेती वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण, टपक सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसान प्राकृतिक जोखिम से कम प्रभावित हों।
4. योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता और निगरानी मजबूत की जाए। कृषि अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो और ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की जाए।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और महिला किसानों को विशेष सहायता दी जाए। उन्हें ऋण, प्रशिक्षण और संसाधनों तक आसान पहुँच उपलब्ध कराई जाए।
6. किसानों को योजनाओं की सामान्य जानकारी तो है, पर उनकी शर्तों और पात्रता की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए गाँव स्तर पर सरल भाषा में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
7. बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए और स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।
8. कृषि नीति को केवल चुनावी घोषणा तक सीमित न रखकर दीर्घकालिक योजना के रूप में लागू किया जाए, ताकि किसानों को स्थायी लाभ और भरोसा मिल सके।
9. किसानों को उनकी उपज का सही और समय पर भुगतान मिले, इसके लिए मंडियों की व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सीधे खाते में भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
10. किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक ऋण की प्रक्रिया आसान की जाए, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े।
11. कृषि से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, ताकि किसान नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक खेती के तरीकों को समझ सकें।
12. युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए कृषि आधारित छोटे उद्योग, डेयरी, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए।
13. फसल बीमा योजना को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।
14. गाँवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाई जाए, जिससे किसान मजबूरी में सस्ती दर पर फसल बेचने के लिए विवश न हों।
15. डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाए, लेकिन साथ ही ऑफलाइन व्यवस्था भी मजबूत रखी जाए ताकि कम पढ़े-लिखे किसान भी योजनाओं का लाभ ले सकें।
16. कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से दी जाए, ताकि हर किसान तक स्पष्ट और सही सूचना पहुँच सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाबू, सुरेश सी. जोशी, पी. के. ग्लेंडनिंग, क्लेयर जे. असेन्सो-ओक्येरे, क्वाड्वोय एवं सुलैमान, रशीद (2013)स भारत में कृषि प्रसार सुधारों की स्थिति : रणनीतिक प्राथमिकताएँ एवं नीतिगत विकल्पस अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, चर्चा पत्र संख्या 01189, वाशिंगटन डी.सी.।
2. गौतम, हृतिक (2024) द पॉलिटिकल इकॉनमी पजल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर: ए पॉलिटिकल सेटलमेंट एनालिसिसस कॉन्टेम्परी वॉयस ऑफ दलित, खंड 1-7.
3. गुलाटी, अशोक एवं जुनेजा, रितिका (2020) ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चरस एफ.ए.ओ. राष्ट्रीय संवाद पत्र, नई दिल्ली।
4. गुलाटी, अशोकय राजखोवा, पल्लवीय एवं शर्मा, प्रवेश (2017) मध्य प्रदेश में कृषि की तीव्र प्रगति : स्रोत, प्रेरक तत्व और नीतिगत सबकस भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 72, अंक 3, पृष्ठ 299-323
5. गुप्ता, सुरूपा (2021) इंडियन फार्मर्स आर ए पावरफुल फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड हियरज व्हाई देयर प्रोटेस्ट्स मैटरस द कन्वर्सेशन, 16 फरवरी 2021.
6. जोसेफ, सोफी के. कस्टमरी राइट्स ऑफ फार्मर्स इन नियो-लिबरल इंडिया: ए लीगल एंड पॉलिसी एनालिसिसस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसस
7. कृष्णमूर्ति, मेखला (2022) इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्सस सेमिनार रिपोर्ट, 3 जनवरी 2022
8. कुमार, सुनील एवं वर्मा, आशुतोष (2020) म्पावरिंग फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश: एन इनिशिएटिव ऑफ मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडस साउथ एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट केसिस, खंड 9, अंक 1, पृष्ठ 148-158 डीओआई: 10.1177/2277977919881416
9. लिंगमूर्ति, एस. एवं गुप्ता, अनिश (2020) तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से कृषि परिवर्तन : मध्य प्रदेश का एक प्रकरण अध्ययनस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड चेंज, खंड 14, अंक 9, पृष्ठ 466-489
10. मजूमदार, नंदिनी (2022) एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिक्स इन इंडियास व्हीलर इंस्टीट्यूट ब्लॉग, लंदन बिजनेस स्कूल, 17 जनवरी 2022
11. मीरा, शेख एन. झामटानी, अनीता एवं राव, डी. यू. एम. (2004) कृषि विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी: भारत की तीन परियोजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषणस एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन नेटवर्क पेपर संख्या 135, जनवरी 2004 यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) द्वारा प्रायोजित।
12. पटेल, नीलमय डोरिन, ब्रूनो एवं नागाइच, रणवीर (2022) ए न्यू

पैराडाइम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर: फ्रॉम एग्रोइंडस्ट्री टू एग्रोइकोलॉजीस नीति आयोग, नई दिल्ली।

13. रामकुमार, आर. (2024) इंडियाज एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी, 2014 टू 2024: पॉलिसीज एंड आउटकम्सस रिव्यू ऑफ एग्रेरियन स्टडीज, खंड 14, अंक 1, जनवरी–जून 2024
14. रेड्डी, बी. सुरेश (2018) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि परिवर्तन के प्रतिरूप : समष्टि एवं सूक्ष्म विश्लेषणस वर्किंग पेपर संख्या 142, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (CESS), हैदराबाद।
15. सत्यसाई, के. जे. एस., कुमार, अशुतोष एवं गुप्ता, नेहा (2021) भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों के कल्याण का मापन एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, खंड 34 (सम्मेलन विशेषांक), पृष्ठ 21–34.
16. शर्मा, एच. आर. (2010) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा : राज्य/जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं प्रभाव अध्ययन (कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में) इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स, खंड 65, अंक 3, जुलाई–सितंबर, पृष्ठ 612–620.
17. शर्मा, नीलमणि (2018) भारतीय किसान राजनीतिस आशय प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. शेखर, सी. एस. सी. (2014) इंडियन एग्रीकल्चर – ए रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड परफॉर्मेंसस योजना (YOJANA), जून 2014.

****